अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या – 141 /2013–14

योगेन्द्र यादव एवं 04 अन्य बनाम उर्मिला देवी एवं 03 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। इस वाद में विवाद के अन्तर्गत मौजा– जलालपुर (धोई) थाना एवं अंचल– बहादुपुर थाना नं0– 602 में स्थित खाता नं0– 957 पुराना खेसरा नं0– 1247 पुराना रकवा– 01 कट्ठा 03 धुर का पूरबारी भाग 06 धुर भूमि है जिसके उतर– रास्ता दक्षिण– आवेदकगण पूरब– विपक्षीगण एवं पश्चिम आवेदकगण है। इस वाद अन्तर्गत योगेन्द्र यादव, रामबाबू यादव दोनों पिता सिताई यादव, सुनिता देवी पति– स्व0 श्याम किशोर यादव, संजय यादव एवं रंजय यादव नबालिग दोनों पिता– स्व0 श्याम किशोर यादव सभी ग्राम– जलालपुर धोई (गौरी टोला) थाना एवं अंचल– सदर दरभंगा के निवासी आवेदकगण तथा उर्मिला देवी पति– स्व0 बैधनाथ यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव एवं भुल्ला यादव तीनों पिता– स्व0 बैधनाथ यादव सभी ग्राम– जलालपुर धोई थाना– सदर दरभंगा के निवासी विपक्षीगण सदस्यगण हैं। विवादित भूमि के निमित उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। आवेदकों के वाद पत्रनुसार प्रश्नगत खाता सं0– 959 पु0, खेसरा सं0– 1247 पु0 का कुल रकवा– 01 कट्ठा 03 धुर है जो Cadastral खतियान में गोपी गोप पिता– अधीन गोप के नाम दर्ज है, अधीन गोप को दो पुत्र गोपी गोप एवं छेदी गोप के बाद तौजी नं0– 13691 के Land lord बाबू रामेश्वर दयाल के कब्जे दखल में चली आई तथा B.T.Act 1885 की धारा– 97 के अनुसार मालिक की वकास्त भूमि हो गई। Land lord बाबु रामेश्वर दयाल ने दिनांक 22.09.1913 को C.S. Plot No.- 1244 की 01 कट्ठा 03 धुर, 1245 की 18 धुर, 1246 की 05 धुर एवं	

19/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	1247 की 01 कट्ठा 03 धुर भूमि मु0 भगवनिया को निबंधिता कबुलियत दोयामी लिख दिया जिसपर मु0 भगवनिया दखल कब्जे में आई। मु0 भगवनिया के मरने के बाद नथुनी साह पिता नेवत साह प्रश्नगत भूमि के owner हुए तथा दखल कब्जे में आये और वे तथा उनके Successors भूतपूर्व जमींदार बाबु रामेश्वर दयाल को लगान भुगतान कर जमींदारी रसीद प्राप्त करने लगे तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार से रसीद प्राप्त करने लगे और बिहार सरकार द्वारा नथुनी साह के नाम रसीद निर्गत किया जाता रहा। R.S. खसेरा नं0– 1984 मौजा धोई थाना नं0– 602 अन्तर्गत पुराना खेसरा नं0– 1248, 1247, 1249, 1244, 1245 एवं 1246 से बना है जिसका रकवा 14 डी0 है जो नथुनी साह के नाम खाता नं0– 290 खुला है नथुनी साह के मरने के बाद सहदेव साह एवं मुरारी साह उनके सम्पति के उतराधिकारी हुए एवं दखल कब्जे में आये। शिवजी साह एवं शिवनाथ साह दोनों पिता– स्व0 सहदेव साह ने C.S. Plot no-1246, 1247, 1248 की 01 कट्ठा 03 धुर भूमि नथुनी साह द्वारा लिखित वसीयतनामा दिनांक 10.08.1990 द्वारा हासिल किया और उसे दिनांक 1.05.2013 को बैधनाथ यादव को बयनामा लिख कर दखल कब्जा सौंप दिया तथा बैधनाथ के मरणोपरान्त उक्त बयनामेवाली भूमि पर विपक्षीयों का दखल कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीयों का यह भी कहना है कि आवेदक की माँ मु0 लुखिया देवी पति– स्व0 सिताई यादव ने मुरारी साह के पुत्र बैजनाथ साह से C.S. Plot No.- 1244, 1245 एवं 1248 की 15 धुर भूमि दिनांक 10.12.2003 को बयनामा कराया है। विपक्षीयों का यह भी कहना है कि आवेदकगण ग्राम– दिहलाही में निवास करते हैं। मु0 लुखिया देवी को विपक्षी सं0– 01 एवं 02 ने अपना grand mother कहा है तथा बताया है कि मु0 लुखिया अपनी खरीदगी भूमि पर मौजा जलालपुर धोई गौरी टोले में निवास करती है। इस प्रकार विपक्षीयों ने आवेदकों के दावे को dismiss करने का अनुरोध किया है।	

9/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, ता.रीख--सहित
	आवेदकों की ओर से C.S. खतियान, मु0 लुखिया के नाम दस्तावेज दिनांक 10.12.2003, BLDR Act वाद सं0– 116/12–13 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2012 एवं वर्ष 1990 में हुए अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन की छायाप्रति दाखिल किया गया है। विपक्षीयों की ओर से शिवजी साहु एवं शिवनाथ साहु द्वारा लिखित बयनामा दिनांक 10.05.2005 बनाम बैधनाथ यादव, नथुनी साह के नाम R.S. खतियान नथुनी साह के नाम, जमींदारी एवं सरकारी रसीद छःप्रति के वर्ष 2004 तक, दिनांक– 22.09.2013 कबुलियत दोयामी दस्तावेज बनाम मु0 भगवनिया, बैजनाथ साह द्वारा मु0 लुखिया को लिखित बयनामा दिनांक 10.12.2003, अंचल कार्यालय दरभंगा BPPHT वाद सं0– 03/90–91 के आदेश दिनांक 24.05.1990 एंव कर्मचारी प्रतिवेदन, नथुनी साह के आवेदन(आपत्ति) की छायाप्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षो की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं पूर्व में निष्पादित भूमि विवाद वाद संख्या– 116/12–13 श्री योगेन्द्र यादव बनाम श्री झिंगुर यादव वगैरह में पारित आदेश के आलोक में वादी के अधिकार का प्रख्यापन किया जा चुका है। जब पूर्व में विवादित जमीन के संबंध में आदेश पारित किया जा चुका है तो पुनः आदेश पारित किया जाना समिचिन प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धित** 19/06/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 19/06/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	